1/5/18 आज P.O. HP. के कोर्ट में व्यस्त होने से जनरल ता. दी गई मय आदेश की पालना में दिनांक 10/7/18 को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

28-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 8 का आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना-पत्र [illegible] वादी ने आदेश 9 नियम 13 प्रार्थना-पत्र के साथ धारा 5 का प्रार्थना-पत्र पेश किया है तथा उसके समर्थन में शपथ-पत्र भी पेश किया गया है। वादी के द्वारा आदेश 9 नियम 13 प्रार्थना-पत्र देरी से पेश किया गया है परन्तु साथ में धारा-5 का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया है। अतः धारा 5 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। धारा-5 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने के फलस्वरूप वादी के द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-11-17 स्वीकार किया जाता है। वादी के द्वारा दिनांक 7-12-17 को प्रस्तुत [illegible] रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

वादी [illegible] कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए। प्रतिवादी [illegible] कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। वादी [illegible]

[illegible]

(हस्ताक्षर)
[illegible] कलक्टर
टोंक

के मैनुअल में की मुख्य जमा (पत्रावली) में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि के आदिवासी मूल खातेदार है तथा प्रतिवादीगण के नाम दाखिल खारिज है, जिसका निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय पारित किया जाता है।-

1. विवाद्यक संख्या 1 :- आपके पक्ष में ग्राम नेहरवास खुर्द स्थित ख.नं. 557/0.47, 1149/0.18 एवं 1653/0.21 कुल रकबा 0.86 हे० भूमि की जमाबंदी के पश्चात से प्रतिवादीगण का उनके हक में ... गैर-मुमकिन ... में रहन नहीं है। उक्त भूमि को अधिग्रहण मुक्त भी किया गया है।

बन्धक रहन भूमि के सम्बन्ध में भू-अभिलेख निदेशालय राजस्व मण्डल राजस्थान (राज.) अजमेर जयपुर के द्वारा क्रमांक प.5(6) राज-6/95/13 दिनांक 20-8-96 के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(1) में खातेदार एवं गैर खातेदार को राज्य सरकार की स्वीकृति से यह अधिकार है कि वह किसी अधिकृत सरकारी बैंक एवं सहकारी समिति से भूमि गिरवी रखकर ऋण ले सकता है। उपधारा-2 में पांच (5) वर्ष तक भूमि किसी व्यक्ति को बन्धक रखी जा सकती है तथा जहां अवधि निश्चित नहीं है वहां यह अवधि 5 वर्ष मानी गई है एवं 5 वर्ष के पश्चात बन्धक कर्ता को पूरी राशि चुकती हो जाने पर बन्धक रहन समाप्त हो जाता है एवं भूमि का कब्जा बन्धक कर्ता को बिना भार के सौंपा जाने का प्रावधान है। उपधारा 4 में यह व्यवस्था है कि अधिनियम के लागू होने से पूर्व के बन्धक उसमें दी गई अवधि पर समाप्त माने जावेंगे या बन्धक के निष्पादन के 20 वर्ष की अवधि जो भी कम हो, उसमें भूमि भार मुक्त मानी जावेगी एवं कब्जा पुनः बन्धक कर्ता को सौंपा जाना आवश्यक है। ऐसे ही

हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रावधान उपधारा 1-क में है। ऐसी बन्धक भूमि
जिसके बन्धक की अवधि समाप्त हो गयी है,
उन्हें अविमुक्त माना गया है एवं उनकी
वापसी के लिए धारा 183 एवं 183-A के
प्रावधान है। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है
कि निर्धारित अवधि के पश्चात् बन्धक
स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है एवं
बन्धक भूमि मुक्त मान ली जाती है।

उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत मौके की जांच
की गई मौके पर उपस्थित लोगों से भी पूछा
जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण
काबिज काश्त है। दिनांक 20-8-96
के उक्त परिपत्र अनुसार वादीगण उक्त वाद-
ग्रस्त भूमि की अधिघोषणा किए जाने के पात्र
हैं एवं वैधानिक होने से यह तनकी वादीगण
के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

2 तनकीह नं० 2 :- आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि
पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी
नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा
का प्रतिबन्धात्मक आदेश के वादीगण हकदार है?

उक्त वादग्रस्त भूमि के वादीगण मूल खातेदार
है तथा वादीगण काबिज काश्त है।
वादग्रस्त भूमि वादीगण की निजी कृषि भूमि है
प्रतिवादीगण को उनके पूर्वजों के नाम रहन रही
जिसकी अवधि 5 वर्ष/20 वर्ष निकल चुकी है
अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा
के प्रतिबन्धात्मक आदेश के पूर्णतया हकदार
होने से यह तनकी भी वादीगण के
पक्ष में निर्णीत की जाती है।

कार्यालय ... टोंक जिला

सहायक कलक्टर
टोंक

3. तनकीह नं. 3 ! – आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम खारिज कर मुद्दईगण को खातेदार बनाने के वादीगण हकदार है ! –

तनकीह नं. 1 में किये गये विस्तृत विवेचन के अनुसार वादीगण अपनी वादग्रस्त भूमि के बाबत "प्रतिवादीगण के नाम खारिज व मुद्दईगान" को खातेदार बनाने के कानूनन अधिकारी है। अतः तनकीह नं. 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. तनकीह नं. 4 ! – आया वाद में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है ! – यह तनकीह प्रतिवादीगण के जिम्मे है। वादीगण के अधिघोषणा का बिन्दु तनकीह नं. 1 में वादीगण के पक्ष में तय हो चुका है तथा स्थाई निषेधाज्ञा का बिन्दु तनकीह नं. 2 में तय हो चुका है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से यह तनकीह भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. तनकीह नं. 5 ! – आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से बेदखली की रिलीफ बिना वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है।

वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का ही होने से बेदखली की रिलीफ लेने का कोई औचित्य नहीं था। वादीगण का वाद विधिवत पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से यह तनकीह नं. 5 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6. अनुतोष :- उक्त वाद के निर्णय में तनकीह नम्बर 1 लगायत 5 वादीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि की स्वत्व मुकदमेदारी की घोषणा वादीगण के पक्ष में किया जाना न्यायोचित एवं [illegible] है। अत: वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मदेरवा खुर्द तहसील दौसा में स्थित भूमि ख.नं. 557 रकबा 0.07 है., ख.नं. 1649 रकबा 0.68 है. तथा ख.नं. 1653 रकबा 0.21 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 है. भूमि को शामिल मुक्त किया जाता है तथा वादीगण को उक्त भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के खाते से "साहिब नारायण सहाय, गोविन्दनारायण, रामस्वरूप, रामेश्वर, जगदीश नारायण, द्वारकाप्रसाद पिता चौथीलाल महाजन मुतवफीयान" विलोपित किया जाता है। तहसीलदार दौसा को उक्त निर्णयानुसार पालना करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक अदालत कैम्प कोर्ट मदेरवा खुर्द के समक्ष आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर दौसा	